

सम्पर्क

भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान दिल्ली



खण्ड—XXXI अंक—05

15 मार्च, 2026

जदपि कबित रस एकउ नाही । राम प्रताप प्रगट एहि माहीं ।।

सोइ भरोस मोरें मन आवा । केहिं न सुसंग बड़प्पनु पावा ।

यद्यपि मेरी इस रचना में कविता का एक भी रस नहीं है, तथापि इसमें श्रीरामजी का प्रताप प्रकट है । मेरे मन में यही एक भरोसा है । भले संग से भला, किसने बड़प्पन नहीं पाया?

—श्रीरामचरितमानस / 4

हार्दिक बधाई !

आई.आई.टी. दिल्ली विमेन ऑफ़ इम्पैक्ट अवार्ड्स 2026

क्र.सं.	पुरस्कार का नाम	संकाय सदस्य
1.	एक्सेम्प्लरी विमेन लीडरशिप अवार्ड (प्रोफ़ेसर स्तर पर)	1. प्रो. एंजेली मुल्तानी, मानविकी एवं समाज विज्ञान विभाग 2. प्रो. श्रीदेवी उपाध्यायुला, रासायनिक इंजीनियरी विभाग
2.	इमर्जिंग विमेन लीडरशिप अवार्ड (सह एवं सहायक प्रोफ़ेसर स्तर पर)	1. प्रो. शिल्पी मिनोचा, कुसुमा जैव विज्ञान स्कूल 2. प्रो. रितु गुप्ता, रसायन विभाग 3. प्रो. अनीता रॉय, कुसुमा जैव विज्ञान स्कूल 4. प्रो. अपराजिता दासगुप्ता, गणित विभाग

संस्थान का हिन्दी कक्ष उक्त सभी सम्मानित सदस्यों को हार्दिक बधाई व शुभकानाएँ देता है ।

कार्यालय आदेश

स्थापना अनुभाग-2 से प्राप्त कार्यालय आदेश सं. IITD/Estt.-2/2026/492808 दिनांक 16.02.2026 के अनुसार संस्थान हित में तत्काल प्रभाव से निम्नलिखित गुप 'ए' अधिकारियों का स्थानान्तरण किया गया है :—

क्र.सं	अधिकारी का नाम व पदनाम	अनुभाग से	अनुभाग में
1.	श्री कुमार सौरभ सहायक कुलसचिव	भण्डार एवं क्रय अनुभाग*	शैक्षणिक अनुभाग, सोनीपत परिसर
2.	श्री मनीष भारद्वाज सहायक कुलसचिव	अस्पताल एवं स्वास्थ्य सेवाएँ, रोस्टर, सोनीपत परिसर	अस्पताल एवं स्वास्थ्य सेवाएँ, रोस्टर, भण्डार एवं क्रय अनुभाग

* श्री एलन वी. सिनाटे, उप कुलसचिव (शैक्षणिक) अपने नियमित कार्य के साथ-साथ भंडार एवं क्रय अनुभाग का अतिरिक्त कार्य भी देखेंगे ।

स्वागत

- स्थापना अनुभाग-1 से प्राप्त विज्ञप्ति सं. IITD/IESI/2026/497289 दिनांक 02.03.2026 के अनुसार प्रो. आदित्य नेमा ने 02.03.2026 से संस्थान के विद्युत इंजीनियरी विभाग में सातवें वेतन आयोग के वेतन लेवल-12 में सहायक प्रोफ़ेसर (ग्रेड-I) के रूप में कार्यभार ग्रहण किया है ।

प्रो. आदित्य नेमा को उनकी नियुक्ति से तीन वर्ष की अवधि अथवा वेतन लेवल 13ए1 प्राप्त करने तक (जो भी पहले हो) संस्थान द्वारा प्रायोजित "युवा संकाय प्रोत्साहन फेलोशिप" भी प्रदान की गई है ।

- स्थापना अनुभाग-1 से प्राप्त विज्ञप्ति सं. IITD/IESI/2026/498182 दिनांक 05.03.2026 के अनुसार प्रो. प्रशांत प्रभाकरण ने 27.02.2026 से संस्थान

के वायुमण्डलीय विज्ञान केन्द्र में सातवें वेतन आयोग के वेतन लेवल-12 में सहायक प्रोफ़ेसर (ग्रेड-I) के रूप में कार्यभार ग्रहण किया है ।

प्रो. प्रशांत प्रभाकरण को उनकी नियुक्ति से तीन वर्ष की अवधि अथवा वेतन लेवल 13ए1 प्राप्त करने तक (जो भी पहले हो) संस्थान द्वारा प्रायोजित "युवा संकाय प्रोत्साहन फेलोशिप" भी प्रदान की गई है ।

राजभाषा अधिनियम/नियम के तहत बनाए गए नियमों के अनुपालन के लिए जाँच-बिंदु

राजभाषा अधिनियम, 1963 (1963 का अधिनियम संख्यांक 19) की धारा-4 के अनुसरण में गठित संसदीय राजभाषा समिति की सिफारिशों को कार्यान्वित करने, राजभाषा विभाग-गृह मंत्रालय के वार्षिक कार्यक्रम में निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने तथा सरकारी कामकाज में हिन्दी के प्रगामी प्रयोग को बढ़ाने संबंधी सरकारी आदेशों/अनुदेशों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए शिक्षा मंत्रालय द्वारा स्थापित जाँच-बिंदुओं को संस्थान में सुदृढ़ एवं प्रभावी बनाने के लिए आप सभी प्रशासनिक अधिकारियों से अनुरोध है कि इन जाँच-बिंदुओं का अनुपालन सुनिश्चित करें।

क्र. सं.	विषय	जाँच बिंदु/अनुपालना
1.	सामान्य आदेश तथा अन्य कागजात अनिवार्य रूप से द्विभाषी रूप में जारी करना:— राजभाषा अधिनियम 1963 (यथा संशोधित, 1967) की धारा 3 (3) में उल्लिखित सभी दस्तावेज आदि हिन्दी तथा अंग्रेजी दोनों भाषाओं में जारी किये जाएंगे। इस उद्देश्य के लिए हस्ताक्षर करने वाले अधिकारी यह सुनिश्चित करें कि किसी भी दस्तावेज पर तब तक हस्ताक्षर न किया जाए जब तक वह द्विभाषी रूप में प्रस्तुत न किया जाए। वह यह भी सुनिश्चित करें कि हिन्दी रूपांतर को अंग्रेजी रूपांतर से पहले/ऊपर रखा गया है। धारा 3 (3) से संबंधित दस्तावेज निम्नलिखित हैं:— सामान्य आदेश, अधिसूचनाएं, प्रेस विज्ञापित/टिप्पणियाँ, संविदाएं, करार, लाइसेंस, परमिट, टेंडर के फॉर्म और नोटिस [i. क्रय/विक्रय संबंधी, ii. सिविल/अन्य कार्य संबंधी] संकल्प, नियम, संसद के सदन या दोनों सदनों में प्रस्तुत सरकारी कागज-पत्र (रिपोर्टों के अलावा), संसद के एक सदन में या दोनों सदनों में प्रस्तुत प्रशासनिक और अन्य रिपोर्ट, जो अपने से उच्चतर कार्यालयों को भेजे जाते हैं।	सभी संबंधित प्रशासनिक अनुभाग/प्रशासनिक अधिकारी
2.	हिन्दी में प्राप्त पत्रों का उत्तर हिन्दी में देना:— पत्र पर हस्ताक्षर करने वाले अधिकारी की यह जिम्मेदारी होगी कि वह राजभाषा (संघ के शासकीय प्रयोजनों के लिए प्रयोग) नियम, 1976 (यथा संशोधित, 1987) की अपेक्षानुसार हिंदी में प्राप्त पत्र अथवा हिंदी में हस्ताक्षर किए गए आवेदन, अपील या अभ्यावेदन का उत्तर हिंदी में ही दिया जाना सुनिश्चित करें।	सभी संबंधित प्रशासनिक अनुभाग/प्रशासनिक अधिकारी
3.	‘क’ तथा ‘ख’ क्षेत्र की राज्य सरकारों को भेजे जाने वाले पत्र आदि:— प्रेषण अनुभाग जाँच बिंदु होगा जो सरकारी आदेशों के अनुपालन में “क” तथा “ख” क्षेत्रों की राज्य सरकारों को भेजे जाने वाले पत्रों आदि को प्रेषण के लिए तभी स्वीकार करेगा जब वे हिंदी में होंगे या उनका हिंदी अनुवाद उनके साथ संलग्न होगा।	प्रेषण अनुभाग एवं अन्य सभी संबंधित प्रशासनिक अनुभाग/प्रशासनिक अधिकारी
4.	रजिस्ट्रारों के शीर्षक द्विभाषी रूप में लिखना:— कार्यालय में प्रयुक्त होने वाले सभी रजिस्ट्रारों के शीर्षक द्विभाषी रूप में अर्थात् हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में लिखे जाएंगे जिनमें हिंदी रूपान्तरण को नियमानुसार अंग्रेजी रूपांतर के ऊपर/पहले रखा जाएगा।	सभी संबंधित प्रशासनिक अनुभाग/प्रशासनिक अधिकारी
5.	लिफाफों पर पते हिंदी में लिखना:— प्रेषण अनुभाग जाँच बिंदु होगा जो यह सुनिश्चित करेगा कि “क” तथा “ख” क्षेत्रों को भेजे जाने वाले पत्रों के लिफाफों पर पते नियमानुसार देवनागरी लिपि में लिखे गए हैं।	प्रेषण अनुभाग एवं अन्य सभी संबंधित प्रशासनिक अनुभाग/प्रशासनिक अधिकारी
6.	फाइल कवरों पर विषय द्विभाषी रूप में लिखना:— कार्यालयों में प्रयुक्त होने वाली सभी फाइलों के कवरों पर विषय नियमानुसार द्विभाषी रूप में लिखे जाएंगे जिनमें हिंदी रूपान्तर को अंग्रेजी रूपांतर के ऊपर/पहले रखा जाएगा।	सभी संबंधित प्रशासनिक अनुभाग/प्रशासनिक अधिकारी
7.	यूनिकोड समर्थित सॉफ्टवेयर युक्त कंप्यूटरों की खरीद:— यह भी हर हाल में सुनिश्चित किया जाएगा कि जिन कंप्यूटरों में यूनिकोड सॉफ्टवेयर नहीं है, उनके लिए इसे किसी निजी फर्म से न खरीदा जाए, वरन राजभाषा विभाग की वेबसाइट www.rajbhasha.nic.in अथवा bhashaindia.com से निःशुल्क डाउनलोड किया जाए। शंका के	सभी संबंधित प्रशासनिक अनुभाग/प्रशासनिक अधिकारी

	समाधान अथवा अधिक जानकारी के लिए वरिष्ठ तकनीकी निदेशक, राजभाषा विभाग, चतुर्थ तल, बी विंग, एनडीसीसी-II बिल्डिंग, जयसिंह रोड, नई दिल्ली-110001 से संपर्क किया जाए।	
8.	फार्मों, कोडों, मैअनुल, प्रक्रिया साहित्य और सरकारी राजपत्र की सामग्री का द्विभाषी प्रकाशन:- सरकारी आदेशों के अनुपालन में भारत के राजपत्र में छपने वाली अधिसूचनाएं, नियम, संकल्प एवं कोड, मैअनुल, फार्म तथा प्रक्रिया साहित्य आदि हर हाल में हिंदी तथा अंग्रेजी दोनों भाषाओं में तैयार कराए जाएं। इस बात का ध्यान अवश्य रखा जाए कि जो सामग्री दोनों भाषाओं में नहीं भेजी जाती है, उसे मुद्रण निदेशालय/सरकारी प्रेस संबंधित विभाग को वापस कर देता है। गैर-सरकारी प्रेसों में छपाई जाने वाली सामग्री के संबंध में भी इसी तरह के जाँच बिंदु स्थापित किये जाएं।	सभी संबंधित प्रशासनिक अनुभाग/प्रशासनिक अधिकारी
9.	रबड़ की मोहरें, नाम पट्ट, सूचना पट्ट आदि द्विभाषी रूप में बनाना:- रबड़ की मोहरे, नाम पट्ट, सूचना पट्ट आदि बनवाने वाले अनुभाग के प्रभारी अधिकारी की जिम्मेदारी होगी कि वह राजभाषा नियम, 1976 के नियम 11 में उल्लिखित उक्त सामग्री हिंदी और अंग्रेजी-द्विभाषी रूप में (और यथावश्यक क्षेत्रीय भाषा में भी) तैयार करना सुनिश्चित करे।	सभी संबंधित प्रशासनिक अनुभाग/प्रशासनिक अधिकारी
10.	सेवा पंजिकाओं (Service Books) में प्रविष्टियां हिंदी में करना:- जिस अनुभाग में कर्मचारियों की सेवा पंजिकाओं में प्रविष्टियां करने का काम होता है, उसके प्रभारी अधिकारी, सेवा पंजिकाओं में प्रविष्टि या हस्ताक्षर करते समय, "क" तथा "ख" क्षेत्रों में काम करने वाले अधिकारियों/कर्मचारियों की सेवा पंजिकाओं में प्रविष्टियां हिंदी में ही किया जाना सुनिश्चित करेंगे। इस प्रकार की प्रविष्टियां "ग" क्षेत्र में भी यथा सम्भव हिंदी में की जाएंगी।	स्थापना अनुभाग
11.	विज्ञापनों का द्विभाषी प्रकाशन:- समाचार पत्रों आदि में दिए जाने वाले विज्ञापनों को जारी करने वाले अधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय के दिनांक 30.6.2017 के कार्यालय ज्ञापन संख्या 20012/01/2017-रा.भा. (नीति) में उल्लिखित दिशानिर्देशों के अनुसरण में सभी विज्ञापन अंग्रेजी/क्षेत्रीय भाषा के साथ-साथ हिंदी भाषा में भी अनिवार्यतः छपवाए जाएं।	सभी संबंधित प्रशासनिक अनुभाग/प्रशासनिक अधिकारी
12.	वेबसाइट का द्विभाषीकरण:- वेबसाइट का काम देखने वाला अधिकारी/अनुभाग यह सुनिश्चित करेगा कि वेबसाइट के मामले में सरकारी दिशानिर्देशों का सम्यक अनुपालन हो और वेबसाइट के निर्माण/अद्यतनीकरण करने वाली कम्पनी के साथ किए जाने वाले करार में- (i) वेबसाइट को द्विभाषी रूप में तैयार करने (ii) अंग्रेजी सामग्री अपलोड करते समय हिंदी सामग्री को भी अपलोड करने और (iii) अंग्रेजी रूपान्तरण को अद्यतित करते समय हिंदी रूपान्तरण को भी अद्यतित करने संबंधी उपबंध शामिल हों। यदि किसी कारणवश ऐसा संभव न हो तो संबंधित अधिकारी द्वारा स्वयं यह सुनिश्चित किया जाएगा कि कार्यालय की वेबसाइट द्विभाषी रूप में अर्थात् अंग्रेजी और हिंदी दोनों भाषाओं में हों।	कंप्यूटर सेवा केन्द्र
13.	नागरिक चार्टर तथा जन सूचना बोर्ड द्विभाषी रूप में जारी करना:- कार्यालय में नागरिक चार्टर तथा जन सूचना बोर्ड तैयार करने वाले अनुभाग/प्रभाग के प्रभारी अधिकारी की जिम्मेदारी होगी कि वह राजभाषा विभाग के वार्षिक कार्यक्रम में निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए अपने नागरिक चार्टर तथा जन सूचना बोर्ड का हिंदी और अंग्रेजी द्विभाषी रूप में और यथा संभव अपनी क्षेत्रीय भाषा में तैयार करना सुनिश्चित करें।	सभी संबंधित प्रशासनिक अनुभाग/प्रशासनिक अधिकारी
14.	हिन्दी पुस्तकों की खरीद:- राजभाषा विभाग के वार्षिक कार्यक्रम में दिए गए लक्ष्य के अनुरूप जर्नल और मानक संदर्भ पुस्तकों को छोड़ करके कुल अनुदान में से डिजिटल वस्तुओं अर्थात् हिंदी ई-पुस्तक, सीडी/डी.वी.डी., पेन-ड्राइव तथा अंग्रेजी और क्षेत्रीय भाषाओं से हिंदी में अनुवाद पर व्यय की गई राशि सहित हिंदी पुस्तकों की खरीद पर 50% व्यय किया जाना अनिवार्य है जिसको सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी संबंधित कार्यालय के पुस्तकालय प्रभारी की होगी।	पुस्तकालय प्रभारी
15.	हस्ताक्षरकर्ता अधिकारी की जिम्मेदारी तय करना:- पत्र या प्रलेख पर हस्ताक्षर करने वाले अधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि जो पत्र/परिपत्र/प्रलेख आदि राजभाषा अधिनियम और उसके अधीन बनाये गये नियमों के अनुसार केवल हिंदी में या हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में जारी/तैयार किये जाने हों, वे उसी रूप में जारी किए जाएं।	सभी संबंधित प्रशासनिक अनुभाग/प्रशासनिक अधिकारी

मर्सिडीज-बेंज रिसर्च एंड डेवलपमेंट इंडिया और आई.आई.टी. दिल्ली की संयुक्त अनुसंधान साझेदारी

क्वांटम प्रौद्योगिकियों, भविष्य की सामग्रियों, न्यूरोमॉर्फिक इंजीनियरिंग तथा विद्युत गतिशीलता (Electric Mobility) पर विशेष ध्यान देने हेतु पाँच वर्षीय साझेदारी।

मर्सिडीज-बेंज रिसर्च एंड डेवलपमेंट इंडिया (एम.बी.आर.डी.आई.) और भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान दिल्ली (आई.आई.टी. दिल्ली) ने एक महत्वपूर्ण साझेदारी की घोषणा की है। इस साझेदारी के तहत दोनों संस्थान संयुक्त अनुसंधान कार्यक्रमों में साथ कार्य करेंगे और ज्ञान सृजन के लिए साझा मार्ग विकसित करेंगे। इस साझेदारी को पाँच वर्षीय मास्टर रिसर्च एग्रीमेंट (एम.आर.ए.) के माध्यम से औपचारिक रूप दिया गया है, जो अकादमिक और उद्योग जगत के बीच सहयोग और नवाचार को मजबूती प्रदान करेगा।

यह साझेदारी उन अनुसंधान क्षेत्रों पर केंद्रित होगी जो गतिशीलता और इंजीनियरिंग प्रणालियों के भविष्य का समर्थन करते हैं। इनमें क्वांटम प्रौद्योगिकियाँ, भविष्य की सामग्री, न्यूरोमॉर्फिक इंजीनियरिंग और इलेक्ट्रिक मोबिलिटी शामिल हैं, जहाँ मूलभूत अनुसंधान और अनुप्रयुक्त इंजीनियरिंग का संगम ज्ञान सृजन और बौद्धिक संपदा निर्माण के अवसर उत्पन्न करता है। इन निर्धारित विषयों से सहयोगी अनुसंधान के लिए स्पष्ट दिशा तय होती है, जो अकादमिक गहराई को वास्तविक इंजीनियरिंग आवश्यकताओं के साथ जोड़ती है।

प्रो. प्रीति रंजन पांडा, संकायाध्यक्ष, कॉर्पोरेट संबंध, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, दिल्ली ने कहा “हमें एम.बी.आर.डी.आई. के साथ यह साझेदारी करते हुए खुशी हो रही है, जो उद्योग जगत के पार्टनर्स के साथ ज्ञान के आदान-प्रदान और सह-निर्माण को प्रोत्साहित करने की आई.आई.टी. दिल्ली की प्रतिबद्धता को और सुदृढ़ करता है। इस पहल के



फोटो: प्रो. प्रीति रंजन पांडा, संकायाध्यक्ष, कॉर्पोरेट संबंध (बाएँ); श्री मनु साले, प्रबंध निदेशक व सी.ई.ओ., एम.बी.आर.डी.आई. (दाएँ)

माध्यम से, संस्थान उच्च-गुणवत्ता वाले अनुसंधान को आगे बढ़ाने और प्रभावशाली नवाचार उत्पन्न करने का लक्ष्य रखता है, जो स्थायी, किफायती और भविष्य के अनुकूल गतिशीलता को संभव बनाएँ। हमारा उद्देश्य ऐसे नवाचारी समाधान विकसित करना है जो भारत में गतिशीलता से जुड़ी चुनौतियों को प्रभावी ढंग से संबोधित करें और साथ ही वैश्विक स्तर पर नए मानक स्थापित करें।

श्री मनु साले, प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यपालक अधिकारी (सी.ई.ओ.) मर्सिडीज-बेंज रिसर्च एंड डेवलपमेंट इंडिया (एम.बी.आर.डी.आई.) ने कहा, “इस वर्ष ऑटोमोबाइल के अविष्कार को 140 वर्ष पूरे हो रहे हैं। यह एक ऐसा अध्याय जो मर्सिडीज-बेंज की गतिशीलता को आकार देने वाली यात्रा की शुरुआत को दर्शाता है। मर्सिडीज-बेंज रिसर्च एंड डेवलपमेंट इंडिया (MBRDI) भी भारत में इंजीनियरिंग उत्कृष्टता के 30 वर्षों की यात्रा का जश्न मनाते हुए उपलब्धियों की एक महत्वपूर्ण कहानी रच रहा है। हम एक ऐसे भविष्य की कल्पना करते हैं, जहाँ अकादमिक और उद्योग जगत व्यवस्थित रूप से साझेदारी करके वास्तविक दुनिया की चुनौतियों का समाधान करें और महत्वपूर्ण नवाचार प्रस्तुत करें। इसी संदर्भ में, आई.आई.टी. दिल्ली के साथ हमारी यह साझेदारी

हमारी नवाचार परंपरा के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है, जो हमें गतिशीलता को तेज और बेहतर ढंग से पुनर्परिभाषित करने में मदद करता है। हमारा उद्देश्य साथ मिलकर ऐसे समाधान विकसित करना है, जो वर्तमान और भविष्य के लिए सार्थक बदलाव ला सकें।”

इस साझेदारी के प्रारंभिक चरण के तहत, क्वांटम सेंसर और बैटरी सिस्टम के क्षेत्रों में एक अनुसंधान परियोजना शुरू की जा रही है जिसका नेतृत्व प्रो. निरत रे (पदार्थ विज्ञान और इंजीनियरी विभाग), आई.आई.टी. दिल्ली कर रहे हैं और उनके साथ प्रो. सौरभ सकसेना (ऑटोमोटिव अनुसंधान और ट्राइबोलॉजी केन्द्र) आई.आई.टी. दिल्ली संयुक्त रूप से अनुसंधान प्रयासों का मार्गदर्शन कर रहे हैं। यह पहल बड़े पैमाने पर लागू होने वाली, उच्च प्रभाव वाली तकनीकी समाधान तैयार करने के उद्देश्य से आई.आई.टी. दिल्ली के अंतःविषय अनुसंधानकर्ताओं और मर्सिडीज-बेंज रिसर्च एंड डेवलपमेंट इंडिया (एम.बी.आर.डी.आई.) की इंजीनियरिंग टीमों को एक साथ लाएगी, ताकि संयुक्त अनुसंधान, प्रोटोटाइप विकास और वास्तविक दुनिया में परीक्षण के माध्यम से नवाचार को तेज किया जा सके।